

आर.ई.ओ. 53



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(संजस्थान सरकार का उपक्रम)

मुख्यालय: इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651337 (क) 2651388 (नि) फैक्स नं. 2741170
जोधपुर फोन नं. 0141 2740121 (क) 2651312 (नि) फैक्स नं. 2740121

नाम: अग्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीएम/पजा० / प्रेरित 336 जोधपुर, दिनांक 29-5-03




विषय:- परमवीर चक्र / महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (Next Kin) के चारे में प्रमाण पत्र संबन्धित सैनिक / असैनिक संस्था से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी देने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के परिपत्र संख्या आर.ई.ओ. 27 दिनांक 5.8.2002, आर.ई.ओ. 34 दिनांक 3.10.2002 एवं आर.ई.ओ. 52 दिनांक 29.4.2003 में 1962, 1965 व 1971 के युद्धों में शहीदों के आश्रितों में कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता का प्रावधान किया हुआ है।

इसी अनुक्रम में सन्तुष्ट संशोधन की 56 वीं बैठक दिनांक 25.4.2003 के द्वारा विचार विमर्श कर लिया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी समय देश के किसी भी क्षेत्र में युद्धों अथवा अंतकवादी गतिविधियों के दौरान प्राप्त परवीर चक्र/महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु, या शहीद हुए सैनिकों / अर्द्धसैनिकों के परिवार के सदस्य (Next Kin) के चारे में प्रमाण पत्र संबन्धित सैनिक या अर्द्धसैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो प्राथमिकता से एक विद्युत कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में जारी किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।


(आर.एस. चौधरी)
मुख्य अधिकारिता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।